भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1878

दिनांक 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाद्यान्नों का निर्यात

1878. श्री साबिर अलीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का निर्यात प्रस्तावित है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें खाद्यान्न निर्यात किए जाने प्रस्तावित हैं और ये खाद्यान्न किस दर पर निर्यात किए जाएंगे?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : कृषि उत्पादों का निर्यात अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिनमें कार्यनीतिक रिजर्व सहित बफर स्टॉक की अपेक्षा के बाद अतिरिक्त स्टॉक की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, राजनयिक/मानवीय दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय माँग एवं आपूर्ति की स्थिति, आयातक देशों में गुणवत्ता संबंधी मानक, व्यापार की गई किस्में और कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता, उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें मुहैया कराए जाने और आम आदमी को वहनीय कीमतों पर कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता आदि शामिल हैं । सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं के निर्यात के संबंध में निर्णय लेने से पहले उपर्युक्त कारकों पर विचार किया जाता है ।

घरेलू बाजार में गेहूँ और चावल की पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर सरकार ने दिनांक 09.09.2011 से खुले सामान्य लाइसेंस (डीजीएल) के तहत गेहूँ और गैर-बासमती चावल के निर्यात की भी अनुमति दी है । इसके अतिरिक्त आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 3.07.2012 को हुई अपनी बैठक में 228 अम.डॉ. प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धी निविदाओं के जरिए वाणिज्यिक शर्तों पर वाणिज्य विभाग के केन्द्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) के माध्यम से एफसीआई के केन्द्रीय पूल स्टॉक से 2 मिलियन टन गेहूँ के निर्यात संबंधी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है । चूँकि सीपीएसयू द्वारा आमंत्रित निविदाओं हेतु विदेशी फर्में प्रतिस्पर्धा करती हैं अतः इन निविदाओं में अलग-अलग देशों की भागीदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है । इसलिए देश-वार मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

.....

.....